न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 29/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 14.7.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

संतोष पुत्र मथुरालाल जाति मीना निवासी ग्राम परोलिया तहसील छबडा जिला बांरा ।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बांरा।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलार्थी
राजकीय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 114/2020 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान संतोष बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 03.7.2020 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय तहसीलदार छबडा ने प्रकरण संख्या 1113/2020 धारा 91 एलआरएक्ट मे अपीलांट द्वारा ग्राम परोलिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह ख0 नं0 139 की रकबा 3 बीघा भूमि पर गैहू की फसल बोई जाकर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 6.3.2020 को 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/–रूपये तावान से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3.7.2020 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 3.7.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने मे त्रुटि की है क्योंकि उक्त आराजी से अपीलांट को कभी भी बेदखल नही किया गया और वर्तमान मे उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है इस प्रकार अपीलांट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे नहीं आता है। अपीलांट ने तावान राशि परीक्षण न्यायालय मे जमा करादी है तथा आराजी से पूर्व मे ही कब्जा छोड इस आशय का शपथ पत्र देने को अपीलांट तैयार है। इसके उपरांत भी प्रथम अपीलेट अधिकारी ने भी जेरअपील निर्णय दिनांक 3.7.2020 से तहसीलदार छबडा का आदेश बहाल रखने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करते हुये अपीलांट की सजा का आदेश निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार छबडा द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबध मे अपीलार्थी को पश्चातवर्ती पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही रहा है। तहसीलदार छबडा ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलार्थी ने उक्त वर्णित आराजी पर से पूर्व से ही कब्जा छोड दिया है तथा वर्तमान मे उक्त वर्णित भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नही है। जुर्माना राशि जमा करा दी है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया था इस आधार पर परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था जिस पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलेट अधिकारी द्वारा जेरअपील निर्णय प्रदान करने मे त्रुटि की है। अतः अपीलाधीन हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा व अति0 जिला कलक्टर बांरा निरस्त किया जावे।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार, छबडा ने अपीलांट को ग्राम परोलिया की चारागाह भूमि ख0 नं0 139 रकबा 3 बीघा पर सं0 2076 मे गैहूँ की फसल बोई जाकर अतिक्रमण किया है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से तहसीलदार छबडा ने 150/– रूपये तावान एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। तह0 छबडा का निर्णय न्यायोचित है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी चारागाह भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने अपील प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 3.7.2020 से खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपील खारिज की जाने योग्य है।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय चारागाह भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों तथा बहस के दौरान स्वयं यह कथन किया है कि उसने उक्त वर्णित भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है। इससे अपीलांट का उक्त वर्णित चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी द्वारा सं0 2075 मे भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा मिसल

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

1312/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 18.3.2019 से तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल किया प्रमाणित है इससे अपीलांट का उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना स्पष्ट हो जाता है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उसको तहसीलदार छबडा द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस नही दिया तथा सुनवाई का अवसर नही दिया विश्वसनीय नही माना जा सकता, क्योंकि अपील मिमो मे स्वयं ने अर्थदण्ड की राशि जमा कराना स्वीकार किया है तथा तहसीलदार छबडा की पत्रावली सं0 1113/20 की आदेशिका दिनांक 6.3.2020 पर स्वय अपीलार्थी संतोष के हस्ताक्षर हो रहे है इससे प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय तह0 छबडा ने अपीलार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 6.3.2020 को स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति मे निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन मे कोई आधार अभिलेख प्रस्तुत नही किये है। प्रथम अपीलेट अधिकारी अति0 जिला कलक्टर बांरा ने प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 03.07.2020 से अपील अपीलांट खारिज कर परीक्षण न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण सं0 1113/20 धारा 91 मे पारित निर्णय दिनांक 6.3.2020 को यथावत रखा है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या–114/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 03.07.2020 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/1/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा